गोपनीय

महत्वपूर्ण/समयबद्ध/ई–मेल द्वारा

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर 2, पुलिस भवन, शहीद पथ, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ–226002

संख्याः डीजी परिपत्र संख्याः 23/2020 दिनांकः जुलाई 06, 2020

समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0
पुलिस आयुक्त लखनऊ/गौतमबुद्धनगर ।

जैसा कि आप अवगत ही हैं दिनांक 04–07–2020 को सायं 7:30 बजे मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा एक वीडियो कान्फ्रेंस आहूत की गयी थी जिसमें समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशकों के साथ–साथ पुलिस आयुक्त लखनऊ व गौतमबुद्धनगर उपस्थित थे । यह वीडियो कान्फ्रेंस अपराध एवं कानून–व्यवस्था की स्थिति एवं कानपुर नगर के ग्राम विकरू में पुलिस व बदमाशों के बीच हुयी मुठभेड़, जिसमें एक पुलिस उपाधीक्षक सहित 07 पुलिस कर्मियों की जानें गयी, के परिप्रेक्ष्य में की गयी थी ।

2– मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा माफिया, अपराधी तत्वों एवं उनके विरूद्ध पुलिस द्वारा की जा रही कार्यवाही की गहनता से समीक्षा करते हुये निम्न निर्देश समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशकों एवं पुलिस आयुक्त लखनऊ/गौतमबुद्धनगर को अपने–अपने कार्य–क्षेत्र में कड़ाई से लागू करने/संपादित करने हेतु निर्गत किये गये हैं –

(1) गश्त से जनता में सुरक्षा की भावना एवं अपराधियों में पुलिस का भय परिलक्षित होता है अतः अधिक से अधिक पेट्रोलिंग विशेषकर फुट पेट्रोलिंग शहर व नगर क्षेत्र में कराया जाना सुनिश्चित करें एवं प्रत्येक दिवस जोनल अपर पुलिस महानिदेशक सहित सभी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भी अपने–अपने कार्यक्षेत्र में कम से कम आधा घंटे फुट पेट्रोलिंग करके मिसाल प्रस्तुत की जानी चाहिये । इस दौरान आम जन से भी सुरक्षा के विषयों पर फुट पेट्रोल प्रभारियों द्वारा बात की जानी चाहिये ।

(2) टॉप 10 की सूची हर थाने एवं जनपद स्तर पर बनायी जाये । ऐसा देखने में आया है कि खानापूरी के लिये जिलों व थानों के टॉप 10 अपराधियों की सूची में वास्तविक अपराधियों को न रखकर छोटे–मोटे या जेल में पहले से ही बंद अपराधियों के नाम डाल दिये जाते हैं । यह प्रवृत्ति प्रभावी अपराध नियंत्रण के प्रयासों में किसी भी तरह सहायक नहीं है । सभी जोनल अपर पुलिस महानिदेशक अपने–अपने जोन के जनपदों में टॉप 10 अपराधियों की सूची की स्वयं समीक्षा करें

और सक्रिय, क्रियाशील एवं दुर्दान्त माफिया/अपराधियों के नाम ही सूची में शामिल कराते हुये उनके विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें । इसकी हर माह समीक्षा भी की जाये जिससे समय व्यतीत होने के साथ इन तत्वों के विरूद्ध कार्यवाही किसी भी दशा में सुस्त न पड़ने पाये ।

(3) सीमावर्ती जनपद में अराजपत्रित पुलिस कर्मियों का यथासम्भव अधिकतम कार्यकाल 2 वर्ष का रखा जाये जिससे वे लम्बे समय तक एक ही स्थान पर नियुक्त रह कर आपसी गुटबंदी या निजी हितबद्धता में संलिप्त न होने पायें ।

(4) प्रायः देखा गया है कि कुछ चौकियों/थानों पर नियतन से कहीं अधिक कर्मी नियुक्त रहते हैं और कुछ पर केवल नाममात्र। समस्त चौकियों/थानों पर नियतन से अधिक लोगों को किसी भी दशा में नियुक्त न रखा जाये । ऐसा करने से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है अतः इस ओर विशेष ध्यान दिया जाये।

(5) यह देखने में आया है कि कई पुलिस कर्मी व्यक्तिगत लाभ एवं क्षुद्र स्वार्थ की पूर्ति हेतु अपने विधिसम्मत दायित्वों को तिलांजलि देकर अपराधियों से गठजोड़ कर लेते हैं । ऐसे भी दृष्टांत सामने आये हैं जब इस प्रकार के अपराधी तत्वों के विरूद्ध की जाने वाली पुलिस कार्यवाही की सूचना उन्हें पूर्व में ही प्राप्त हो गयी । यह स्थिति, निःसंदेह ही, दुर्भाग्यपूर्ण है । इस गठजोड़ को प्रभावी ढंग से समाप्त किया जाये ।

(6) माफिया गिरोहों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता के दृष्टिगत समीक्षोपरान्त अगले 03 दिवस में नये गैंग चार्ट तैयार कर व उन्हें अनुमोदित करा कर इस दिशा में प्रभावी कार्यवाही की जाये । साथ ही सक्रिय माफिया तत्वों की सूची भी अद्यावधिक करा ली जाये ।

(7) टैक्सी स्टैण्ड, बस अड्डों और रेलवे स्टेशनों के बाहर दुकानों और तांगा स्टैण्ड आदि में माफिया वसूली को प्रभावी ढंग से रोका जाये । इस प्रकार की गतिविधियों से जनसामान्य को अत्यधिक असुविधा का सामना करना पड़ता है और इससे विधि के शासन के प्रति विपरीत अवधारणा बनती है ।

(8)– अगले 03 दिवस में जोनल अपर पुलिस महानिदेशक एवं परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक अपने क्षेत्र के जिलों में दिन/रात्रि में आकस्मिक दौरों/चैकिंग की कार्यवाही करें और ढ़िलाई बरतने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही/संस्तुति करें । इसके अतिरिक्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशकों द्वारा हर माह अपने अधीन जनपदों में कम से कम एक विजिट अवश्य की जाये ।

(9) इसी प्रकार अगले 03 दिवस में माफियाओं और उनके गुर्गों के हथियारों को चिन्हित कराते हुये उन्हें जब्त करने की कार्यवाही पूर्ण की जाये जिससे वे इन हथियारों का आपराधिक कार्यों में उपयोग न करने पायें।

(10) माफिया तत्वों और बड़े अपराधियों के विरूद्ध प्रचलित वादों की नियमित समीक्षा अपर पुलिस महानिदेशक जोन के स्तर पर की जाये एवं जनपदीय दौरों में इसे अनिवार्य रूप से समीक्षित भी किया जाये जिससे इन तत्वों को समुचित दण्ड दिलाया जा सके।

(11) माफिया तत्वों एवं टॉप 10 अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही की समीक्षा निम्न आवृत्ति से सुनिश्चित की जाये जिससे उनके विरूद्ध परिणामजन्य कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके —

1—	जिले स्तर पर	—	साप्ताहिक (वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा)
2—	परिक्षेत्र स्तर पर	—	पाक्षिक (परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक द्वारा)
3—	जोन स्तर पर	—	मासिक (जोनल अपर पुलिस महानिदेशक द्वारा)

(12) थानाध्यक्षों की तैनाती में यह सुनिश्चित किया जाये कि अच्छी छवि और कार्यशैली के बेदाग अधिकारियों को ही तैनाती दी जाये । भ्रष्ट और अकर्मण्य लोगों को कदापि थानों का चार्ज न दिया जाये । थानाध्यक्षों की नियुक्ति अनुमोदित सूची से ही की जाये और साथ ही इन नियुक्तियों में विभिन्न जातियों को नियमों के अन्तर्गत समुचित प्रतिनिधित्व दिये जाने का भी प्रयास किया जाये ।

(13) माफिया तत्वों की सम्पत्तियों एवं आर्थिक हितों, जिनसे उनका आपराधिक कारोबार चलता है, पर कड़े प्रहार के लिये उनके विरूद्ध गैंगस्टर एक्ट के प्रावधानों के अन्तर्गत सम्पत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही अनिवार्य रूप से की जाये ।

(14) प्रायः देखा गया है कि सोशल मीडिया पर अनेक प्रकार की आपत्तिजनक एवं भड़काऊ सामग्री डालकर नफरत फैलाने एवं आपसी सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की जाती है । इसके दृष्टिगत जोन व परिक्षेत्र स्तर पर सोशल मीडिया पर पैनी निगाह रखी जाये और भड़काऊ और शरारती पोस्ट पाये जाने पर शरारती तत्वों के विरूद्ध कड़ी वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये ।

(15) जनपदों में ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों एवं अधिकारियों में वर्दी ठीक प्रकार से न पहनने, वर्दी पर टोपी न लगाने अथवा चप्पल/सैण्डल इत्यादि वर्दी पर पहन कर ड्यूटी देने के दृष्टांत दिन—प्रतिदिन मीडिया द्वारा प्रसारित किये जा रहे हैं जिससे पुलिस के अनुशासित न होने, ड्यूटी के प्रति लचर रवैया अपनाने एवं अव्यावसायिक कार्यपद्धति अपनाने का नकारात्मक संदेश आम जन के बीच जा रहा है । इस कुप्रवृत्ति पर सख्ती से रोक लगाना वरिष्ठ पर्यवेक्षक अधिकारियों का

प्राथमिक कर्तव्य होना चाहिये । जोनल अपर पुलिस महानिदेशक अपने क्षेत्रों में इस ओर ध्यान दें और कड़ाई से आवश्यक कार्यवाही करायें ।

(16) ऐसा ज्ञात हो रहा है कि पुलिस कर्मियों द्वारा शस्त्र हैण्डलिंग एवं फायरिंग का वार्षिक प्रशिक्षण गम्भीरता से नहीं किया जा रहा है और न ही उनकी निशाना साधने की क्षमता को ठीक प्रकार से जॉचा जा रहा है । शस्त्र प्रचालन में प्रवीणता न होने के कारण अकसर बदमाशों द्वारा पुलिस पर दुस्साहसिक हमले करने की दशा में पुलिस द्वारा प्रतिरक्षात्मक कार्यवाही भी कुछ मामलों में नहीं की जा पा रही है । यह चिन्ता का विषय है । जोनल अपर पुलिस महानिदेशक अपने–अपने जोन्स में सुनिश्चित करें कि फायरिंग का प्रशिक्षण नियमानुसार सभी पुलिस कर्मी समय से प्राप्त करें एवं कोई भी इस प्रशिक्षण से मुक्त न किया जाये ।

3– कृपया उपरोक्त बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही पूर्ण मनोयोग एवं निष्ठा से सुनिश्चित करते/कराते हुये कृत कार्यवाही की अनुपालन आख्या 10 दिवस में अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध, उत्तर प्रदेश को उनकी मेल आईडी section7crime@gmail.com पर उपलब्ध करायें ।

(एच0सी0 अवस्थी)
पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश ।